हरियाणा सरकार

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,

हरियाणा

की

वर्ष 2016-2017

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

Review of Annual Administrative Report of Haryana Irrigation & Water Resources Department for the Year 2016-17

Haryana a State of the Union of India was carved out of the composite State of Punjab on November 1st, 1966. It is situated in the North West of the country and covers a geographical area of 44,212 square kilometers and culturable area of 3.9 million hectares. The State in North is bounded by Shivalik range of mountains and in the East by River Yamuna. In South, it is surrounded with Delhi and Aravali range and Desert of Rajasthan is existing on South West. In North West, the River Ghaggar forms part of the boundary with Punjab State. Haryana State is falling under the basins of Indus and Ganges (between River Ghaggar and Yamuna) and is located in the Northern plain between longitude 74 degree to 78 degree East and Latitude 27 degree to 31 degree North.

Agriculture is the major water using sector utilizing about 85% of the available supplies. Yields of most of the major crops are high and average food grain yields are 30-40% higher than the Indian national average. This government places top most priority to improve Irrigation and Drainage system and a sum of Rs.2029.36 Crores incurred during 2016-17 for the same. Consequently, about 75% of the State's arable Lands are served by Irrigation canals. However, the Canal Irrigation intensity is about 76.79% reflecting to the limited availability of canal water supplies.

In the State, priority has been given to major and medium Irrigation projects to increase the irrigation facilities as a result of which 23.04 lakh hectares of land of Haryana and 0.11 Lakh hectares of land of Delhi area was irrigated during the year 2016-17.

Haryana Irrigation & Water Resources Department is primarily responsible for Operation & Maintenance of Canal and Drainage network besides looking after planning, design & construction of various Water Resource Projects. Department is supported by Command Area Development Authority (CADA) by taking up the construction of unlined water courses in addition to other command area Development activities. It is also supported by Haryana Irrigation Research Management Institute (HIRMI) which caters as a Training and Research Centre.

OBJECTIVES & FACILITIES PROVIDED BY HARYANA IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT

The broad objectives of Haryana Irrigation & Water Resources Deptt. are as under:-

1. Welfare and establishment matters of human resources i.e. all officers (Class-I, Class-II) and officials (Class-III & IV) working in the Department.
2. Flood Protection, Drainage and Anti Water logging works-- Construction and maintenance thereof.
3. Irrigation Schemes and Projects in the State, including Multipurpose River Schemes, Major, Medium and Minor Irrigation Schemes.
4. Running, Maintenance and Operation of canals in the State and monitoring of supplies thereof.
5. Equitable distribution of available canal supplies.
6. Irrigation Revenue, Irrigation booking, raising bills for canal water through respective DC/Tehsildars.
7. Shipping and Navigation of canals excluding matters arising out of the Inland Vessels Act, 1917 (Act 1 of 1917).
8. Inter-State matters related to SYL Canal, Upper Yamuna River Board, Inter-State Water Disputes, Delhi Water Supply etc.
9. Construction/Reconstruction/remodeling of water courses in the State.
10. Haryana Irrigation Research and Management Institute—All matters relating to.
11. Command Area Development Authority---All matters relating to.
12. Land acquisition and payment of land compensation for the purpose of Irrigation projects.

The following facilities are being provided by Haryana Irrigation & Water Resources Department to the public of State:

1. To supply raw water for irrigation purpose of farmers located in the State.
2. To supply raw water to various works of Public Health/Haryana Urban Development Authority for drinking purpose and other domestic use.
3. To supply raw water for Pond filling to various villages for drinking purpose of live stock.
4. To supply raw water to various industries for Industrial development of State.
5. To supply raw water to Thermal Power Plants for assistance in generation of Electricity in the State.

6. Upkeep of River Training works on various rivers and their tributaries passing through the State of Haryana.
7. To fight with flood furry for saving of lives and property.
8. To arrange and maintain water resources through interstate agreement.
9. To deliver authorized canal supply to the partner States through the Canals network of Haryana.
10. To train the farmers through Water User Association (WUA).
11. To act as nodal department in water resources matters.

ACHIEVEMENTS OF THE YEAR 2016-17

The major achievements during the year 2016-17are as under:-

- 23.04 lakh Hectares of land of Haryana and 0.11 lakh Hectares land of Delhi (total 23.15 lakh hectares) has been Irrigated during the year as compared to 22.88 lakh hectares during 2015-16.
- 27.11 Lakh Sq. mtr. area of canals has been lined.
- Total revenue received during the year was Rs.113.43 crore on account of sale of water for Agricultural, Industrial, Drinking and other purpose.

Date:

(Anurag Rastogi)
Principal Secretary to Government Haryana,
Irrigation & Water Resources Department,
Chandigarh.

हरियाणा भारत देश का एक छोटा राज्य है जो कि 1 नवम्बर, 1966 को पंजाब के विभाजन पर बना था। यह देश के उत्तर पश्चिम में स्थित है और इसका भौगोलिक क्षेत्र 44,212 वर्ग किलोमीटर और कृषि योग्य क्षेत्रफल 3.9 मिलियन हैक्टेयर है। राज्य का उत्तरी हिस्सा शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और पूर्व में यमुना नदी है। दक्षिण में दिल्ली व अरावली की पर्वत माला है और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थल है। उत्तर पश्चिम में पंजाब की सीमा के साथ–साथ घग्गर नदी है। राज्य इन्डस बेसिन व गंगा के मध्य (घग्गर व यमुना नदी के मध्य) में है व इसकी स्थिति उत्तरी मैदानी क्षेत्र में लम्बाई में 74 डिग्री से 78 डिग्री पूर्व व कोणात्मक दृष्टि में 27 डिग्री से 31 डिग्री उत्तर में है।

वर्तमान में उपलब्ध पानी की 85 प्रतिशत मात्रा का उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है। राज्य में अधिकांश खाद्य सामग्री की फसलों को उगाया जाता है और उगाये गये अनाज की मात्रा भारतीय राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा 30–40 प्रतिशत अधिक है । सरकार सिंचाई व जल निकासी के कार्यों को अत्यधिक प्राथमिकता प्रदान करती है और इस क्षेत्र में साल 2016–17 दौरान 2029.36 करोड़ रू खर्च किए हैं। तदानुसार राज्य के कृषि योग्य क्षेत्र के 75 प्रतिशत क्षेत्र को नहरों द्वारा सिंचित किया जाता है। सिंचाई क्षमता मात्र 76.79 प्रतिशत है जो कि सिंचाई प्रणाली के लिए पानी की सीमित उपलब्धता को दर्शाता है।

राज्य में सिंचाई उपलब्धताओं का विस्तार करने के लिए बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (मेजर एण्ड मिडियम इरिगेशन प्रोजैक्टस) को प्राथमिकता दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2016–17 के दौरान हरियाणा के 23.04 लाख हैक्टेयर व दिल्ली के 0.11 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को नहरों द्वारा सिंचित किया गया।

नहरी व जल निकास नेटवर्क के चलाने व उसके रख रखाव के लिए हरियाणा सिंचाई विभाग जिम्मेवार है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जल संसाधन परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करना है और जल मार्गों को पक्का करने व कमान क्षेत्र में विकास के अन्य कार्यों को करने के लिए कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काडा) इस विभाग की सहायता करता है। इस विभाग को हरियाणा सिंचाई अनुसंधान प्रबन्धन संस्थान (हिरमी) प्रशिक्षण व अनुसंधान केन्द्र के रूप में सहायता करता है।

हरियाणा सिंचाई व जल संसाधन विभाग द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं व उद्देश्य

हरियाणा सिंचाई व जल संसाधन विभाग, के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैंः–

1. समृधि व स्थापना सम्बंधित मानव संसाधन के मामले–जैसा कि सभी अधिकारियों (वर्ग I व वर्ग II) और कर्मचारियों (वर्ग III व वर्ग IV) के मामले, जो विभाग में कार्यरत है ।

2. बाढ सुरक्षा, जल निकासी और जल भराव रोकने हेतू कार्यः–इनका निर्माण और रखरखाव ।

3. राज्य में सिंचाई योजनाएं और परियोजनाएं, बहूउद्देश्य नदी योजनाएं बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाएं और लघु सिंचाई योजनाएं ।
4. राज्य की नहरों का संचालन, रखरखाव व कार्यप्रणाली और पानी की आपूर्ति का नियंत्रण ।

5. नहर में उपलब्ध पानी की आपूर्ति का बराबर बंटवारा ।

6. सिंचाई राजस्व, सिंचाई की बुकिंग, सम्बंधित डी.सी. / तहसीलदार के सामने पानी का बिल प्रस्तुत करना ।

7. अंतर्देशिय जहाज अधिनियम 1917 (1917 का अधिनियम 1) से उत्पन्न मामलों को छोडकर शिपिंग और नेवीगेशन नहरों के कार्य ।

8. सतलुज यमुना लिंक नहर, अपर यमुना नदी बोर्ड, अंर्तराज्यीय जल विवाद, दिल्ली जल आपूर्ति से संबन्धित अंर्तराज्यीय मामले आदि–इत्यादि ।
9. हरियाणा राज्य के खालों के निर्माण/पुननिर्माण/फिर से बनाना ।
10. हरियाणा सिंचाई अनुसंधान और प्रबंधन संस्थान से संबन्धित सभी कार्य ।
11. कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण से संबन्धित सभी मामले ।
12. सिंचाई परियोजनाओं के प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण और भूमि मुआवजे के भुगतान मामले ।

सिंचाई विभाग हरियाणा द्वारा राज्य की जनता को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की जा रही है:–

1 राज्य के किसानों को सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी की आपूर्ति करना ।

2 जन स्वास्थ्य हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के लिए विभिन्न कार्यो में पीने के पानी व अन्य घरेलू उपयोग हेतु पानी की आपूर्ति करना ।

3 विभिन्न गांवों में पशुओं व मत्स्यपालन हेतु तालाबों को भरने के लिए पानी की आपूर्ति करना

4 राज्य के औघोगिक विकास के लिए औघोगिक इकाईयों को पानी की आपूर्ति करना ।

5 राज्य के विद्युत उत्पत्ति में सहायता प्रदान करने के लिए थर्मल पावर प्लांट को पानी की आपूर्ति करना ।

6 हरियाणा राज्य से गुजरने वाली विभिन्न नदियों व सहायक नदियों पर प्रशिक्षण कार्य को चालू रखना।

7 बाढ़ के दौरान जान माल की सुरक्षा हेतु बाढ़ के भय से लड़ना ।

8 अन्तर्राज्यीय समझौते के माध्यम से जल संसाधनों का प्रबन्ध व रख रखाव करना।

9 हरियाणा के नहरी नेटवर्क के माध्यम से हिस्सेदार राज्यों को प्राधिकृत आपूर्ति करना ।

10 जल उपभोक्ता संगठन (डब्ल्यू.ए) के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित करना ।

11 जल संसाधन विषयों में नोडल विभाग के रूप में कार्य करना ।

वर्ष 2016–17 की उपलब्धियां

वर्ष 2016–17 की मुख्य उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:–

1 वर्ष 2015–16 के दौरान सिंचित 22.88 लाख हैक्टेयर के क्षेत्र की तुलना में उपरोक्त वर्ष में 23.15 लाख हैक्टेयर (23.04 लाख हैक्टेयर हरियाणा व 0.11 लाख हैक्टेयर दिल्ली के) क्षेत्र को सिंचित किया गया।

2 उपरोक्त वर्ष नहरों के 27.11 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को पक्का किया गया।

3 कृषि, औद्योगिक, पीने के पानी व अन्य उदेश्यों के लिए दिये गये पानी से 113.43 करोड़ रूपये का राजस्व एकत्रित किया गया।

दिनांक:

(अनुराग रस्तोगी)
प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग,
चंडीगढ़

हरियाणा सिंचाई व जल संसाधन विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2016–17

विभाग

हरियाणा सिंचाई व जल संसाधन विभाग प्रदेश में सतही जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन, नहरों व जल मार्गों के चलाने एवं रखरखाव, बाढनियंत्रण व प्रबंधन का प्रमुख विभाग है। इस विभाग का मुख्य उत्तरदायित्व विभिन्न समझौतों व आदेशों के अनुसार विभिन्न नदियों से प्रदेश के हिस्से का पानी लेना सुनिश्चित करना और प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर जल का निष्पक्ष वितरण करना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

हरियाणा में नहरी विकास का इतिहास सन 1351 में फिरोजशाह तुगलक द्वारा पश्चिमी यमुना नहर के निर्माण के साथ प्रारम्भ हुआ। मुगल बादशाह अकबर ने सन 1568 में इस नहर का पुनर्निर्माण किया और शाहजहाँ ने सन 1626 में इस नहर का विस्तार किया। अंग्रेजों ने पश्चिमी यमुना नहर को सन 1817–1823 के समय पुनः उपयोग योग्य किया। भाखड़ा डैम, जिसे पंडित जवाहर लाल नेहरू ने "पुनरुथित भारत का आधुनिक मंदिर" कहा था, का निर्माण 1963 मैं पूरा हुआ। सन 1954 में नंगल नहर के उद्घाटन व भाखड़ा–नंगल परियोजना की नहर प्रणाली के प्रारम्भ के साथ ही हरियाणा की प्यासी धरती को सतलुज नदी का जल मिलना शुरू हो गया। भाखड़ा बांध के सन 1963 मैं पूरा होने पर देश की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी जल परियोजना का कार्य सम्पन्न हुआ। तदुपरान्त ब्यास–सतलुज लिंक (ब्यास और सतलुज नदियों को जोडने की परियोजना) के पूरा होने पर न केवल भाखडा सरोवर में जल आपूर्ति में वृद्धि हुई अपितु हरियाणा रावी और ब्यास नदियों से प्रदेश का हिस्सा लेने में भी समर्थ हुआ।

सिंचाई जल आपूर्ति प्रणाली

हरियाणा में भाखड़ा नहर प्रणाली और पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली दो मुख्य नहर प्रणालियाँ हैं। भाखड़ा नहर प्रणाली के अंतर्गत 14.27 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि (CCA) है और यह प्रणाली सतलुज, रावी और ब्यास नदियों में हरियाणा के हिस्से से सिंचाई करती है, जबकि पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली के अंतर्गत 7.76 (दिल्ली समेत) लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को प्रदेश के यमुना नदी के हिस्से से सिंचित किया जाता है। दोनों प्रणालियाँ आपस में इस प्रकार जोडी गई हैं कि एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली की जल आपूर्ति की जा सके। इस के अतिरिक्त उठान सिंचाई प्रणाली का भी विकास किया गया है जिस से 8.09 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है।

इस प्रणाली के अंतर्गत नहरी जल को 464 फुट तक उठा कर विपरीत दिशा के ऊंचे क्षेत्रों को नहरी जल से आपूर्ति की जाती है। हरियाणा ने प्रदेश की 14010.62 किलोमीटर लंबी 1500 नहरों तथा दिल्ली क्षेत्र की 207.44 किलोमीटर लंबी 14 नहरों के विस्तृत सिंचाई नेटवर्क का विकास किया है (विवरण संलग्न–4, 5 व 6 पर पर दिया गया है)। जिला वार खरीफ तथा रबी फसलों का विवरण संलग्न–7 व संलग्न–8 पर पर दिया गया है।

प्रमुख अभियंता व मुख्य अभियंताओं की पदासीन विवरणी

पद	नाम	अवधि
	सर्वश्री	
प्रमुख अभियंता	1. ए.के.गुप्ता 2. बीरेन्दर सिंह	01.04.2016 से 31.01.2017 01.02.2017 से 31.03.2017
मुख्य अभियंता , तालमेल	1. जे.आर.अग्रवाल 2 डा. गुलाब सिंह नरवाल 3. जगमोहन सिंह **अति. कार्यभार** 4. सन्दीप बिशनोई	22.04.2016 से 20.07.2016 20.07.2016 से 04.10.2016 04.10.2016 से 02.02.2017 02.02.2017 से 31.03.2017
मुख्य अभियंता , भाखड़ा जल सेवाएं यूनिट ।	1 जगमोहन सिंह 2. बीरेन्दर सिंह 3. फूल सिंह नैन	01.04.2016 से 04.10.2016 04.10.2016 से 31.01.2017 02.02.2017 से 31.03.2017
मुख्य अभियंता , यमुना जल सेवाएं यूनिट । (उत्तर)	1. पी. के. चोपडा 2. राजीव बंसल 3 जगमोहन सिंह	01.04.2016 से 30.06.2016 01.07.2016 से 31.01.2017 02.02.2017 से 31.03.2017
मुख्य अभियंता , यमुना जल सेवाएं यूनिट । (दक्षिण)	1 बीरेन्दर सिंह 2.ए.के. मलिक 3. संदीप तनेजा	01.04.2016 से 03.10.2016 04.10.2016 से 14.03.2017 14.03.2017 से 31.03.2017
मुख्य अभियंता , उठान नहर यूनिट	1.राजीव बंसल 2.डा. सतबीर सिंह कादियान	01.04.2016 से 30.06.2016 01.07.2016 से 31.03.2017
मुख्य अभियंता , निर्माण	1.जे.आर.अगरवाल 2.डा. गुलाब सिंह नरवाल	01.04.2016 से 31.08.2016 16.09.2016 से 31.03.2017
मुख्य अभियंता, परियोजना, निर्माण सामग्री व पर्यावरण	1.डा. सतबीर सिंह कादियान 2. जयदीप राव	30.09.2016 से 05.02.2017 06.02.2017 से 31.03.2017
मुख्य अभियंता, चौकसी,	1. राजीव बंसल 2. आर. के. चौहान	01.07.2016 से 31.01.2017 02.02.2017 से 31.03.2017

मुख्य स्वीकृत अमलों की संख्या (2016-17)

क्रमांक	पद का नाम	पद संख्या
1	प्रमुख अभियन्ता	1
2	महाप्रबन्धक	1
3	मुख्य अभियन्ता	12
4	अधीक्षक अभियन्ता	38
5	कार्यकारी अभियन्ता	163
6	उप मण्डल अधिकारी	406
7	कनिष्ठ अभियन्ता	1323
8	परिमण्डल मुख्य नक्शा नवीस	41
9	मण्डल मुख्य नक्शा नवीस	154
10	नक्शा नवीस	295
11	अनुरेखक	161
12	जिलेदार	120
13	प्रधान राजस्व लिपिक	49
14	निर्धारण लिपिक	24
15	राजस्व लिपिक	93
16	सहायक राजस्व लिपिक	203
17	नहर पटवारी (आई.बी.सी.)	1415

सिंचित क्षेत्र

पिछले वर्ष के 22.88 लाख हेक्टेयर के मुकाबले उपरोक्त वर्ष 23.15 लाख हेक्टेयर (जिस में 0.11 लाख हेक्टेयर दिल्ली क्षेत्र की) भूमि की सिंचाई नहरों द्वारा की गई। वर्ष 1967–68 से 2016–17 की अवधि में नहरों द्वारा प्रदेश मैं सिंचित भूमि का विवरण संलग्न–1 पर, जिलेवार विवरण संलग्न–2 पर और परिमण्डल वार विवरण संलग्न–3 पर दिया गया है।

निम्न ग्राफ दर्शाता है कि हरियाणा के सन 1966 में राज्य बनने से सन 2016–17 में 9.43 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई की गयी जोकि लगभग 68.73 प्रतिशत है।

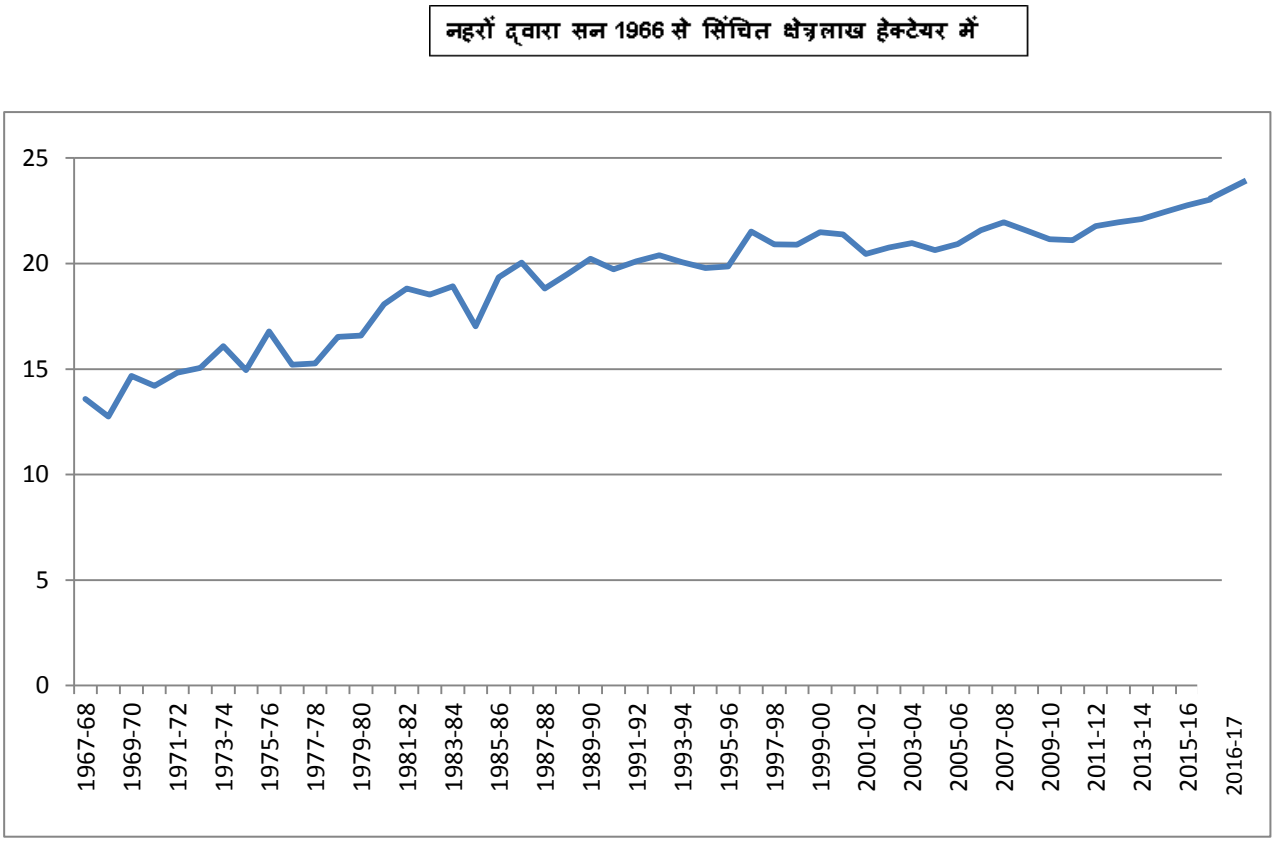

इसके अतिरिक्त बाढ व वर्षा के पानी की निकासी हेतु 5144.59 किलोमीटर लंबी 801 ड्रेन्स की प्रणाली भी है।

विभाग के विंग

हरियाणा सिंचाई व जल संसाधन विभाग जल सेवा का विभाग है तथा सिंचाई हेतु नहरी जल उपलब्ध करने के लिए इस विभाग की तीन जल सेवा इकाइयां हैं जिन का संक्षिप्त विवरण निम्न है :–

भाखड़ा जल सेवाएं इकाई

भाखड़ा जल सेवाएँ इकाई मुख्य अभियंता (भा–ज–से) की देखरेख में भाखड़ा नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई के लिए नहरी जल आपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। यह प्रणाली नंगल नहर, भाखड़ा मुख्य नहर और इसकी नहर प्रणाली के माध्यम से सतलुज, ब्यास व रावी नदियों से हरियाणा के जल के हिस्से की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। इस प्रणाली में 6003.79 किलोमीटर लंबी 522 नहरें हैं और यह प्रणाली अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल जिलों व जींद, फतेहबाद, सिरसा व हिसार जिलों के भागों की नहरी जल की आपूर्ति करता है। इस इकाई के अंतर्गत 5 परिमण्डल हैं जो इस प्रकार हैं :–

1 भाखड़ा जल सेवाएं परिमण्डल, हिसार ।

2 भाखड़ा जल सेवाएं परिमण्डल, फतेहाबाद ।

3 भाखड़ा जल सेवाएं परिमण्डल,सिरसा ।

4 भाखड़ा जल सेवाएं परिमण्डल,कैथल ।

5 सतलुज यमुना लिंक जल सेवाएँ परिमण्डल, अंबाला ।

भाखड़ा जल सेवाएँ इकाई की मुख्य नहरे हैंः भाखड़ा मुख्य नहर, भाखड़ा मेन ब्रांच, फतेहाबाद ब्रांच, रोडी ब्रांच, नरवाना ब्रांच, सिरसा ब्रांच, बालसमंद ब्रांच, बरवाला ब्रांच, बी–एम–एल बरवाला लिंक इत्यादि। दोनों फसलों की सिंचाई की उत्कृष्टता (Intensity) लगभग 106.99% है। भाखडाजल सेवाएँ इकाई के अंतर्गत आने वाले नहरों की प्रणाली का विवरण संलग्न–4 पर दिया है।

यमुना जल सेवाएं इकाई

यमुना जल सेवाएं इकाई मुख्य अभियंता की देखरेख में यमुना नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई के लिए नहरी जल आपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। यह प्रणाली पश्चिम यमुना नहर के माध्यम से यमुना नदी से हरियाणा के हिस्से का जल प्राप्त करती है। इस प्रणाली में 4066.28 किलोमीटर लंबी हरियाणा की तथा 207.44 किलोमीटर लंबी दिल्ली क्षेत्र की, 457 नहरें तथा 14 नहरें दिल्ली क्षेत्र की कुल 471 नहरें हैं और करनाल, यमुनानगर, जींद जिले का भाग, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी,

फरीदाबाद जिलों तथा दिल्ली के भागों की नहरी जल की आपूर्ति करता है और इसका कुल सिंचाई क्षेत्र 7.76 लाख हेक्टेयर (दिल्ली क्षेत्र समेत) है।

इस यूनिट के अंतर्गत 7 निम्न परिमण्डल हैं :–

1 यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, करनाल ।

2 यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, दिल्ली ।

3 यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, जींद ।

4 यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, फरीदाबाद ।

5 हथनीकुंड बराज परिमण्डल, जगाधरी ।

6 यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, भिवानी ।

7 यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, सोनीपत ।

यमुना जल सेवाएं इकाई की मुख्य नहरें है – पश्चिम यमुना नहर मुख्य लाइन, हांसी ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, भिवानी ब्रांच, भिवानी सब–ब्रांच। दोनों फसलों की सिंचाई की उत्कृष्टता लगभग 60.54% है (दिल्ली क्षेत्र समेत) । यमुना जल सेवाएं इकाई के अंतर्गत आने वाले नहरों की प्रणाली का विवरण संलग्न–5 पर दिया है।

उठान सिंचाई इकाई

उठान सिंचाई इकाई मुख्य अभियंता की देखरेख में उठान नहर प्रणाली द्वारा 8.09 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए नहरी जल आपूर्ति के लिए उत्तरदायी है । इस प्रणाली में 3940. 55 किलोमीटर लंबी 521 नहरें हैं । दोनों फसलों की सिंचाई की उत्कृष्टता लगभग 39.31% है और यह प्रणाली भिवानी जिले का भाग, रोहतक, महेन्द्रगढ़, रेवाडी और गुडगाँव जिलों की जल आपूर्ति करता है। इस यूनिट के अंतर्गत 5 निम्न परिमण्डल हैं :–

1 यमुना जल सेवाएं परिमण्डल,रोहतक ।

2 झज्जर जल सेवाएं परिमण्डल, झज्जर ।

3 लोहारु जल सेवाएं परिमण्डल, भिवानी ।

4 जवाहर लाल नेहरू जल सेवाएं परिमण्डल, नारनौल ।

5 जवाहर लाल नेहरू जल सेवाएं परिमण्डल,रेवाडी ।

उठान नहर इकाई के अंतर्गत आने वाले नहरों की प्रणाली का विवरण संलग्न–6 पर दिया है।

जल निकास और बाढनियंत्रण

वर्ष 2016–17 में प्रदेश में विभिन्न नदियों में पानी की अधिकतम बहाव की मात्रा :–

क्रमांक	नदी (गाँव)	तिथि	मात्रा (क्यूसिक्स)
1.	यमुना (ताजेवाला)	01.08.2016	159219
2.	घग्घर (पंचकूला)	13.08.2016	16090
3.	घग्घर (गुहला चीका)	12.08.2016	13860
4.	घग्घर (खनौरी)	13.08.2016	3450
5.	मारकंडा (झांसा)	02.08.2016	6887
6.	टांगरी नदी (जनसुई)	--	--

वर्ष 2016-17 ड्रेन्स की 263 स्कीमें स्वीकृत की गई । जिन में से 123 नई स्कीमें थी और 140 स्कीमों पर कार्य चल रहा था।

तालमेल इकाई

विभाग की तालमेल इकाई मुख्य अभियंता तालमेल की देखरेख में कार्य करती है। इस यूनिट के अंतर्गत निम्न परिमण्डल अधिभाग हैं :–

योजना परिमण्डल, पंचकूला ।

निर्देशक, जल संसाधन, पचंकूला ।

केन्द्रीय डिजाईन परिमण्डल ।

तालमेल अधिभाग ।

अंतरराज्यीय अधिभाग ।

रेग्युलेशन अधिभाग ।

तालमेल इकाई का मुख्य कार्य विभिन्न इकाइयों के आपसी तालमेल का है। यह इकाई बजट व अन्य योजनाओं के लिए उत्तरदायी है। अंतरराज्यीय अधिभाग सभी प्रकार के अंतरराज्यीय कार्यों को और उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में चल रहे राज्य के जल संबंधी विभिन्न मुकदमों को भी देखता है। तालमेल अधिभाग, विधान सभा के कार्य देखता है और लोक सभा एवं राज्य सभा के प्रश्नों के उत्तर तैयार करता है।

रेग्युलेशन अनुभाग विभिन्न नदियों व नहरों के पानी के वितरण की व्यवस्था खरीफ व रबी फ़सल का अलग अलग रोटेशनल कार्यक्रम बना कर करता है । नहरी पानी घटाना बढ़ाना या कुछ समय के लिए बंद करने की अधिसूचना इसी अनुभाग से जारी होती है। सतलुज, रावी व ब्यास नदीयों के पानी को प्रत्येक साझेदार राज्यों के हिस्से अनुसार यह अनुभाग नहरी पानी के खाते का मिलान ए.डी.इ. स्तर की कमेटी, साथी राज्य समाधान कमेटी में करता है ।

परियोजना इकाई

परियोजना इकाई वर्ष 2016-17 मे स्थापित की गई थी जो मुख्य अभियंता परियोजना, साम्रगी व पर्यावरण की देखरेख में कार्य करती है। परियोजना परिमण्डल व कार्यशाला परिमण्डल, आई टी सैल, पर्यावरण अनुभाग व राजस्व अनुभाग इस के अंतर्गत कार्य करते हैं । परियोजना परिमण्डल विभाग की नई मुख्य परियोजनाओं को बनाने व इस के अतिरिक्त केंद्रीय संस्थाओं के साथ तालमेल भी रखता है। बी बी एम बी में कार्यरत कर्मचारियों के सेवाओं से जुड़े सभी काम भी देखता है, राजस्व एवं मूल्य प्राप्ति अधिभाग राजस्व कार्य के लिए उत्तरदायी है। इस के अतिरिक्त आबियाना, विभिन्न विभागों जैसे कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी रेलवे, हुड्डा इत्यादि से जल का राजस्व लेना भी है।

पर्यावरण सैल 1994 में इस विभाग के जल संसाधनों से जुडे पर्यावरण से सम्बंधित सभी मामलों को देखने के लिए बनाया गया था। इस सैल ने हरियाणा सिंचाई विभाग की पर्यावरण नीति बनाई थी जिसे प्रदेश के मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया। पर्यावरण सैल अपने निर्धारित कार्य के अलावा जल संसाधनों से जुड़े अन्य कार्य भी करता है।

चौकसी इकाई

विभाग की चौकसी इकाई मुख्य अभियंता चौकसी की देखरेख में कार्य करती है। चौकसी इकाई वर्ष 2016-17 मे स्थापित की गई थी जो चौकसी परिमंडल, पंचकूला तथा चौकसी परिमंडल, रोहतक का कार्य देखती है।

चौकसी परिमंडल,पंचकूला

चौकसी परिमंडल, पंचकूला वर्ष 1988 में चकबंदी परिमंडल के स्थान पर बनाया गया था। यह परिमण्डल चल रहे कार्यो की गुणवता पर निगरानी रखता है व पूर्ण किए कार्यों एवं चल रहे कार्यों की शिकायतों की जांच करता है। इस परिमण्डल के अधीन उतरी हरियाणा के परिमण्डलों का क्षेत्र आता है ।

चौकसी परिमंडल,रोहतक

चौकसी परिमंडल, रोहतक सन् 1966 में गुणवत्ता आश्वासन परिमंडल के कार्य के लिए रोहतक में बनाया गया था। सन् 2003 में इस परिमंडल को चौकसी परिमंडल में परिवर्तित कर दिया गया। यह परिमण्डल के चल रहे कार्यो की गुणवता पर निगरानी रखता है इसके अधीन दक्षिणी व पश्चिमी हरियाणा के परिमण्डलों का क्षेत्र आता है । पूर्ण किए कार्यों एवं चल रहे कार्यों की शिकायतों की जांच करता है।

योजना स्वरूप

इस वर्ष 150225.05 लाख रुपए प्रमुख, मध्यम सिंचाई परियोजना, नहरों, बाढ नियंत्रण व जल निकासी के लिए निर्धारित किए थे। वर्ष 2016–17 के दौरान स्वीकृत संशोधित वार्षिक योजना एवं खर्च का विवरण संलग्न–9 पर दिया है। इस वर्ष कुल 113.43 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ।

चौकसी विभाग हरियाणा की रिपोर्ट वर्ष 2016–17

वर्ष के दौरान निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी इस ब्यूरो में रंगे हाथों पकडे गए व उनके विरूद्ध मुकद्दमें दर्ज किए गए:–

क्रमांक : सं:	मुकदमा क्रमांक, दिनांक व जेरधारा	विरूद्ध	छापा मारने की तिथि	घूस में ली गई राशि
1	12 दिनांक 06.04.2016, धारा 7/13 पी.सी. एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक ।	हरिओम, नहरी पटवारी, (अनुबन्ध आधार पर) कार्यालय, कार्यकारी अभियंता, सिंचाई विभाग, गोहाना, जिला सोनीपत।	06.04.2016	2,000/– रूपये
2	31 दिनांक 08.08.2016, धारा 7/13 पी.सी. एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक	मुकेश गुप्ता, उप मन्डल अभियंता, (सिंचाई), इन्द्री जिला करनाल ।	08.08.2016	40,000/– रूपये

निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमित जांचें दर्ज की गई:-

क्र: स:	**जांच क्रमांक व दिनाक**	**विरुद्ध**
1	06 दिनांक 06.07.2016, हिसार	अधिकारी/कर्मचारी, सिंचाई व जल संसाधन विभाग, हिसार ।
2	01 दिनाक 31.01.2017 नारनौल	बी आर दलाल (सेवानिवृत) उप मण्डल अभियन्ता सिंचाई विभाग मण्डल, नारनौल व अन्य ।

उपरोक्त अवधि के दौरान विभाग के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सजा नहीं सुनाई गई है ।

संलग्न-1

1967-68 से 2016-17 में हरियाणा की नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र

वर्ष	हरियाणा की नहरों द्वारा हरियाणामें सिंचित क्षेत्र लाख हेक्टेयर में (लाख एकड़)	हरियाणा की नहरों द्वारा दिल्ली राज्य मे सिंचित क्षेत्र लाख हेक्टेयर में (लाख एकड़)	हरियाणा की नहरों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)
1	2	3	4
1967-68	13.59 (33.57)	0.13 (0.34)	13.72 (33.91)
1968-69	12.75 (31.50)	0.17 (0.43)	12.92 (31.93)
1969-70	14.68 (36.25)	0.16 (0.42)	14.84 (36.68)
1970-71	14.21 (35.21)	0.15 (0.37)	14.98 (37.02)
1971-72	14.83 (36.65)	0.15 (0.37)	14.98 (37.02)
1972-73	15.05 (37.16)	0.15 (0.37)	15.19 (37.53)
1973-74	16.09(39.77)	0.17 (0.41)	16.26 (40.18)
1974-75	14.95 (36.94)	0.18 (0.43)	15.13 (37.37)
1975-76	16.78 (41.46)	0.16 (0.40)	16.94 (41.86)
1976-77	15.21 (37.85)	0.14 (0.36)	15.35 (37.94)
1977-78	15.27 (37.73)	0.13 (0.32)	15.40 (38.05)
1978-79	16.53 (40.85)	0.14 (0.35)	16.67 (41.20)
1979-80	16.59 (40.98)	0.14 (0.35)	16.73 (41.33)
1980-81	18.07 (44.66)	0.12 (0.29)	18.19 (44.94)
1981-82	18.81 (46.47)	0.11 (0.28)	18.92 (46.75)
1982-83	18.53 (45.79)	0.12 (0.29)	18.65 (46.08)
1983-84	18.92 (46.75)	0.12 (0.31)	19.04 (47.06)
1984-85	17.02 (42.84)	0.13 (0.32)	17.15 (42.36)
1985-86	19.34 (47.77)	0.11 (0.27)	19.45 (48.04)
1986-87	20.04 (49.50)	0.12 (0.29)	20.16 (46.79)
1987-88	18.81 (46.46)	0.11 (0.27)	18.92 (46.73)
1988-89	19.50 (48.36)	0.12 (0.31)	19.70 (48.67)
1989-90	20.23 (49.97)	0.11 (0.27)	20.34 (50.24)
1990-91	19.72 (48.71)	0.09 (0.22)	19.81 (48.93)
1991-92	20.11 (49.67)	0.09 (0.22)	20.20 (49.89)
1992-93	20.40 (50.38)	0.10 (0.24)	20.50 (50.62)
1993-94	20.06 (49.55)	0.20 (0.49)	20.26 (50.04)
1994-95	19.78 (48.85)	0.10 (0.24)	19.88 (49.89)
1995-96	19.86 (49.06)	0.10 (0.24)	19.96 (49.30)
1996-97	21.52 (53.15)	0.09 (0.22)	21.61 (53.37)
1997-98	20.91 (51.64)	0.09 (0.22)	21.00 (51.86)
1998-99	20.89 (51.59)	0.09 (0.22)	20.98 (51.81)
1999-00	21.48 (53.06)	0.09 (0.22)	21.57 (53.28)
2000-01	21.38 (52.81)	0.09 (0.22)	21.47 (53.03)
2001-02	20.46 (49.11)	0.08 (0.19)	20.54 (49.30)
2002-03	20.76 (51.28)	0.08 (0.19)	20.84 (51.47)
2003-04	20.97 (51.80)	0.08 (0.19)	21.05 (51.99)
2004-05	20.63 (50.96)	0.08 (0.19)	20.71 (51.15)
2005-06	20.93 (51.70)	0.08 (0.19)	21.01 (51.89)
2006-07	21.58 (53.30)	0.08 (0.19)	21.66 (53.50)
2007-08	21.96 (54.24)	0.08 (0.19)	22.04 (54.43)
2008-09	21.56 (53.25)	0.08 (0.19)	21.64 (53.44)
2009-10	21.15 (52.24)	0.08 (0.19)	21.23 (52.44)
2010-11	21.10 (52.12)	0.08 (0.19)	21.18 (52.31)
2011-12	21.77 (53.77)	0.08 (0.19)	21.85 (53.96)
2012-13	21.96 (54.24)	0.08 (0.19)	22.04 (54.44)
2013-14	22.11(54.61)	0.08(0.19)	22.19(54.80)
2014-15	22.44(55.45)	0.08(0.20)	22.52(55.65)
2015-16	22.76(56.24)	0.12(0.29)	22.88(56.44)
2016-17	23.04 (56.93)	0.11(0.27)	23.15(57.20)

संलग्न-2

2016-17 में जिलेवार नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र

क्रमांक	जिले का नाम	G.A. (लाख हेक्टेयर में)	C.C.A. (लाख हेक्टेयर में)	सिंचित क्षेत्र खरीफ़ (लाख हेक्टेयर में)	सिंचित क्षेत्र रबी (लाख हेक्टेयर में)	कुल सिंचित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)
1	अम्बाला	0.34	0.30	0.08	0.07	0.15
2	रोहतक	1.73	1.50	0.69	0.73	1.42
3	करनाल	1.64	1.46	0.37	0.34	0.71
4	गुडगाँव	0.26	0.22	0.01	0.02	0.03
5	हिसार	4.54	4.02	2.34	2.64	4.98
6	सिरसा	4.28	3.82	2.49	2.57	5.06
7	जींद	2.63	2.41	1.35	1.36	2.71
8	कैथल	2.39	2.09	0.60	0.56	1.16
9	भिवानी	3.80	3.08	0.69	0.69	1.39
10	सोनीपत	1.75	1.51	0.58	0.55	1.13
11	कुरुक्षेत्र	0.67	0.61	0.08	0.07	0.15
12	मोहिन्द्रगढ़	1.70	1.37	0.01	0.05	0.07
13	फ़रीदाबाद	0.41	0.35	0.02	0.02	0.04
14	पानीपत	0.83	0.68	0.21	0.19	0.41
15	रिवाड़ी	1.18	1.00	0.02	0.04	0.06
16	यमुनानगर	0.08	0.06	0.03	0.03	0.06
17	पंचकुला	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	झज्जर	1.79	1.49	0.22	0.26	0.48
19	फ़तेहाबाद	2.52	2.20	1.32	1.34	2.66
20	मेवात	0.69	0.62	0.06	0.10	0.15
21	पलवल	0.39	0.35	0.04	0.04	0.08
22	दादरी	0.99	0.86	0.00	0.14	0.14
	जोड़	34.61	30.00	11.22	11.82	23.04
23	दिल्ली	0.21	0.18	0.05	0.06	0.11
	जोड़ दिल्ली समेत	34.82	30.18	11.27	11.88	23.15

संलग्न-3

वर्ष 2016-17 में परिमंडल-वार सिंचित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)

कर्मांक	परिमंडल का नाम	खरीफ	रबी	कुल
1	भाखड़ा जल सेवाएँ परिमण्डल, हिसार	2.25	2.56	4.81
2	भाखड़ा जल सेवाएँ परिमण्डल, फतेहाबाद	1.35	1.37	2.72
3	भाखड़ा जल सेवाएँ परिमण्डल,कैथल	1.21	1.18	2.39
4	भाखड़ा जल सेवाएँ परिमण्डल,सिरसा	2.51	2.58	5.09
5	सतलुज यमुना लिंक जल सेवाएँ परिमण्डल, अंबाला	0.14	0.12	0.26
	कुल सिंचित क्षेत्र (भाखड़ा नहर प्रणाली)	**7.46**	**7.81**	**15.27**
6	यमुना जल सेवाएँ परिमण्डल,फ़रीदाबाद	0.12	0.17	0.29
7	यमुना जल सेवाएँ परिमण्डल,करनाल	0.59	0.54	1.13
8	यमुना जल सेवाएँ परिमण्डल,जींद	0.70	0.70	1.4
9	यमुना जल सेवाएँ परिमण्डल,सोनीपत	0.19	0.17	0.36
10	यमुना जल सेवाएँ परिमण्डल,भिवानी	0.62	0.73	1.35
11	हथनीकुंड बराज परिमण्डल,जगाधरी	0.03	0.03	0.06
	कुल सिंचित क्षेत्र (पश्चिम यमुना नहर प्रणाली)	**2.25**	**2.34**	**4.59**
12	लोहारु जल सेवाएँ परिमंडल, भिवानी	0.28	0.32	0.60
13	जवाहर लाल नेहरू जल सेवाएँ परिमण्डल,रेवाड़ी	0.02	0.04	0.06
14	जवाहर लाल नेहरू जल सेवाएँ परिमण्डल,नारनौल	0.02	0.07	0.09
15	झज्जर जल सेवाएँ परिमंडल,झज्जर	0.12	0.13	0.25
16	यमुना जल सेवाएँ परिमंडल, रोहतक	1.07	1.11	2.18
	कुल सिंचित क्षेत्र (उठान नहर प्रणाली)	**1.51**	**1.67**	**3.18**
	कुल सिंचित क्षेत्र	**11.22**	**11.82**	**23.04**
17	यमुना जल सेवाएँ परिमंडल, दिल्ली	0.05	0.06	0.11
	जोड़ दिल्ली समेत	**11.27**	**11.88**	**23.15**

भाखड़ा जल सेवाएँ इकाई का विवरण वर्ष 2016-17 **संलग्न-4**

क्रमांक	परिमंडल का नाम	नहरों की संख्या	नहरों की कुल लंबाई (किलोमीटर)	GA (लाख हेक्टेयर)	CCA (लाख हेक्टेयर)	खरीफ (लाख हेक्टेयर)	रबी (लाख हेक्टेयर)	कुल (लाख हेक्टेयर)	% age Irrigation
1	भाखड़ा जल सेवाएँ परिमण्डल, हिसार	165	1531.84	4.49	3.97	2.25	2.56	4.81	121.16%
2	भाखड़ा जल सेवाएँ परिमण्डल, फ़तेहाबाद	81	1023.84	2.59	2.24	1.35	1.37	2.72	121.57%
3	भाखड़ा जल सेवाएँ परिमण्डल, कैथल	138	1467.28	3.69	3.36	1.21	1.18	2.39	71.08%
4	भाखड़ा जल सेवाएँ परिमण्डल, सिरसा	101	1508.87	4.29	3.82	2.51	2.58	5.09	133.17%
5	सतलुज यमुना लिंक जल सेवाएँ परिमण्डल, अंबाला	37	471.96	0.97	0.88	0.14	0.12	0.26	29.54%
	कुल	**522**	**6003.79**	**16.03**	**14.27**	**7.46**	**7.81**	**15.27**	106.99%

यमुना जल सेवाएँ इकाई का विवरण वर्ष **2016-17** **संलग्न-5**

क्रमांक	परिमंडल का नाम	नहरों की संख्या	नहरों की कुल लंबाई (किलोमीटर)	GA (लाख हेक्टेयर)	CCA (लाख हेक्टेयर)	खरीफ (लाख हेक्टेयर)	रबी (लाख हेक्टेयर)	कुल (लाख हेक्टेयर)	% age Irrigation
1	यमुना जल सेवाएँ परिमण्डल, फ़रीदाबाद	47	500.77	1.51	1.34	0.12	0.17	0.29	21.64%
2	यमुना जल सेवाएँ परिमण्डल, करनाल	88	995.91	2.36	2.03	0.59	0.54	1.13	55.57%
3	यमुना जल सेवाएँ परिमण्डल, जींद	96	674.58	1.41	1.25	0.70	0.70	1.40	112.05%
4	यमुना जल सेवाएँ परिमण्डल, सोनीपत	36	350.09	0.83	0.71	0.19	0.17	0.36	50.70%
5	यमुना जल सेवा परिमण्डल, भिवानी	179	1251.91	2.78	2.25	0.62	0.73	1.35	60.00%
6	यमुना जल सेवाएँ परिमण्डल, जगाधरी	9	145.19	0.08	0.06	0.03	0.03	0.06	100.00%
1	सरस्वती हैरिटेज़ परिमण्डल, कुरुक्षेत्र	2	147.83						
	कुल	**457**	**4066.28**	**8.98**	**7.64**	**2.25**	**2.34**	**4.59**	60.05%
7	यमुना जल सेवाएँ परिमण्डल, दिल्ली	14	207.44	0.21	0.12	0.05	0.06	0.11	91.67%
	कुल दिल्ली समेत	**471**	**4273.72**	**9.19**	**7.76**	**2.30**	**2.40**	**4.70**	60.54%

उठान नहर इकाई का विवरण वर्ष **2016-17** **संलग्न-6**

क्रमांक	परिमंडल का नाम	नहरों की संख्या	नहरों की कुल लंबाई (किलोमीटर)	GA (लाख हेक्टेयर)	CCA (लाख हेक्टेयर)	खरीफ (लाख हेक्टेयर)	रबी (लाख हेक्टेयर)	कुल (लाख हेक्टेयर)	% age Irrigation
1	लोहारु जल सेवाएँ परिमण्डल, भिवानी	137	1036.31	2.24	1.91	0.28	0.32	0.60	31.41%
2	जवाहर लाल नेहरू जल सेवाएँ परिमण्डल, रेवाड़ी	76	495.54	1.05	0.90	0.02	0.04	0.06	6.67%
3	जवाहर लाल नेहरू जल सेवाएँ परिमण्डल, नारनौल	100	801.04	2.02	1.63	0.02	0.07	0.09	5.52%
4	झज्जर जल सेवाएँ परिमण्डल, झज्जर	56	496.61	1.16	0.95	0.12	0.13	0.25	26.32%
5	यमुना जल सेवाएँ परिमंडल, रोहतक	152	1111.05	3.13	2.70	1.07	1.11	2.18	80.74%
	कुल	**521**	**3940.55**	**9.60**	**8.09**	**1.51**	**1.67**	**3.18**	39.31%

खरीफ 2016 वर्ष 2016-17 में **जिले**वार फसलवार नहरों दवारा सिंचित क्षेत्र (हैकटेअर) **संलग्न**-7

क्रमांक	जिले का नाम	गन्ना	कपास	बाजरा	मक्की	चावल	जवार/ ग्वार	रौणी साबका	विवद/ Misc	रोणी हाल/ जखीरा	ग्राम अरहर मूंग दालें	बाग, सब्जी, पोपलर व सफौदा	कुल जोड़ हैकटेअर	कुल जोड़ लाख हैकटेअर
1	अम्बाला	20				7241	194	2	92		5		7554	0.08
2	रोहतक	11376	6672	3415	127	42032	4822	3	362	66	33	22	68930	0.69
3	करनाल	872	29	1403	13	33258	1686		65		88	12	37426	0.37
4	गुडगाँव	12				526	41		1				580	0.01
5	हिसार	1488	82844	19460	823	70585	48744	1	6387	95	3375	38	233840	2.34
6	सिरसा	32	136435	1596	1050	62630	40835	3	6737				249318	2.49
7	जींद	3559	25281	11439	172	80335	11898		1817	37	37	184	134759	1.35
8	कैथल	1112	1970	309	99	50039	6195		24			155	59903	0.60
9	भिवानी	3665	22290	4572	60	27018	9346	336	893	267	232	618	69297	0.69
10	सोनीपत	4349	784	299	47	44536	4075	9	4144	112	26		58381	0.58
11	कुरुक्षेत्र	173			13	7390	306		29		9	11	7931	0.08
12	मोहिन्द्रगढ़	1	553	662			156		57			2	1431	0.01
13	फ़रीदाबाद	5		290		1568		18	8				1889	0.02
14	पानीपत	762	36	609	3	19774	158	52	65		5		21464	0.21
15	रिवाड़ी	1	164	385		1548	141		82	32		2	2355	0.02
16	यमुनानगर	332.62				1817.79	487.01					578.98	3216.40	0.03
17	पंचकुला					4	1		1		1		7	0.00
18	झज्जर	1735	710	699	50	16673	1942	36	197	49		6	22097	0.22
19	फ़तेहाबाद	685	49590	9520	3640	61228	3265		4149		149		132226	1.32
20	मेवात	105	36			3553	1719	32	62				5507	0.06
21	पलवल	264	436	41		2305	631		251				3928	0.04
22	दादरी													
	जोड़	30548.6	327830	54699	6097	534061	136642	492	25423	658	3960	1628.98	1122039	11.22
23	दिल्ली	55			2	3000	1056	4	89			1281	5487	0.055
	जोड़ दिल्ली समेत	30603.6	327830	54699	6099	537061	137698	496	25512	658	3960	2909.98	1127526	11.28

(राबी) 2016 **वर्ष 2016-17 में जिलेवार फसलवार नहरों दवारा सिंचित क्षेत्र (हैकटेअर)** **संलग्न-8**

क्रमांक	**जिले का नाम**	गेहू , तरसम	जौं	चना / मिश्रित चना	जवी/ बरसीन/ बरसम/ तरसम	सरसों / तिलहन	रौणी साबका	रोणी हाल/ जखीरा	विवद बाग सफैदा	चारा सब्जी बरसीम बारले	दालें	कुल जोड़ हैकटेअर	कुल जोड़ लाख हैकटेअर
1	अम्बाला	6292					8		96	244		6640	0.07
2	रोहतक	68557	386	19	1498	1674	62	112	451	240		72999	0.73
3	करनाल	32874	5	1	986	14			15	275	43	34213	0.34
4	गुडगाँव	1502					5		30			1537	0.02
5	हिसार	213021	2586	2003	124	30739		21	15799	164		264457	2.64
6	सिरसा	230361	2684	673	5306	9928			7747			256699	2.57
7	जींद	126425	173	9	279	2022		7	1379	5581		135875	1.36
8	कैथल	52638		33					153	3408		56232	0.56
9	भिवानी	54034	768	236	390	11398	1	152	1931	511		69421	0.69
10	सोनीपत	51858	144	2	1421	462	18	95	613	39		54652	0.55
11	कुरुक्षेत्र	6673		2		12			400	136	2	7225	0.07
12	मोहिन्द्रगढ़	2232		115		2923			21	12		5303	0.05
13	फ़रीदाबाद	1985					8		10	73		2076	0.02
14	पानीपत	18662	5		521	14			80	27	150	19459	0.19
15	रिवाड़ी	2845	5	1		1193		8	19	7		4078	0.04
16	यमुनानगर	2372.66	578.98		75.54							3027	0.03
17	पंचकुला	31								2		33	0.00
18	झज्जर	21605	338	4	152	2939	2	243	399	13		25695	0.26
19	फ़तेहाबाद	116178	8758	231	187	5509	1		3296			134160	1.34
20	मेवात	9594					26		18			9638	0.10
21	पलवल	4410							32	5		4447	0.04
22	दादरी	10247	158	28		2591	28		101	446		13599	0.14
	जोड़	**1034397**	**16589**	**3357**	**10939.5**	**71418**	**159**	**638**	**32590**	**11183**	**195**	**1181465**	**11.81**
	दिल्ली	5252	34		37	133	8		70	311	3	5848	0.06
	जोड़ दिल्ली समेत	**1039649**	**16623**	**3357**	**10976.54**	**71551**	**167**	**638**	**32660**	**11494**	**198**	**1187313**	**11.87**

संलग्न-9

STATEMENT SHOWING APPROVED/REVISED BUDGET AND EXPENDITURE UNDER PLAN & NON-PLAN ESTT./WORKS 2016-17

(Rs.in Lakhs)

Sr.No.	Name of Head	Approved Budget	Revised budget	Final Expenditure
1	2	3	4	5
	Administrative Expenditure Establishment			
1	प्लान	22151.00	22151.00	19231.29
2	नान प्लान	42051.43	36366.05	33479.63
	Total Establishment	**64202.43**	**58517.05**	**52710.92**
	Development Works			
1	प्लान	76050.00	65402.00	60303.74
2	नान प्लान	7542.25	7067.25	6766.65
3	एनर्जी चार्जेज	27820.00	27120.00	21987.66
4	बी बी एम बी	7100.00	7100.00	7100.00
5	इंटरेस्ट	54067.00	54067.00	54067.00
	Total Works	**172579.25**	**160756.25**	**150225.05**
	GrandTotal	**236781.68**	**219273.30**	**202935.97**

*Data as per figires given by Planning Branch